

न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागेश्वर।

फौजदारी वाद संख्या-197/2022

दरवान राम बनाम् पूरन कुमार।

09 / 31.08.2022

पत्रावली पेश। पुकारा गया। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चन्द्र जोशी द्वारा परिवादी की हाजिरी माफी न्यायालय पेश। सुना। स्वीकृत। अभियुक्त को जारी समन अदम तामिल न्यायालय प्रत्यावर्तित। पुनः जारी हो। परिवादी पैरवी करे। तत्पश्चात् परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पैरवी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत। स्वीकृत। तदनुसार समन जारी हो।

पत्रावली दिनांक 30.09.2022 को वास्ते उपस्थिति पेश हो।

(रिज़वान अंसारी)

सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बागेश्वर।